न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण **R.A.S.**

मुकदमा नम्बर :– 70/2019 निर्णय दिनांक :– 27/5/2019

उनवान

1. शराफत खॉ पुत्र अतामोहम्मद दत्तक पुत्र मिश्री खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

.........वादी

बनाम

1. अता मोहम्मद खॉ पुत्र गोश मोहम्मद खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

...........प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 ए राज.टेनेन्सी एक्ट

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वादी वर्तमान में ख.न. 583 रकबा 1.05 है0 खं. [illegible] रकबा 1.18 है0 खं.न. 683 रकबा 0.15 है0, खं.न. 964 रकबा 1.[illegible] है0, [illegible] रकबा 0.07 हैं.0 खं.न 972 रकबा 0.16 हैं.0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.9[illegible] है0 वाके ग्राम [illegible]रा पटवार बाढबागपुरा तहसील चाकसू का रिकार्डेड खातेदार है। तथा प्रतिवादी के वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खसरा नं.576 रकबा 0.52 है0 खसरा नं0 580 रकबा 0.03 है0 581 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि नाम दर्ज है, इस दावे में वादी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 583 रकबा 1.05 है0 एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज खसरा नं0 576, 580, 581 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि ही विवादित है। वादी के उक्त खसरे का साबिक नम्बर 202/2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा थे तथा प्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 202/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा थे इससे भी पूर्व मूल साबिक खसरा नं0 202 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के दत्तक पिता मिश्री खॉ के नाम दर्ज थी जिस भूमि मे से स्वर्गीय मिश्री खॉ ने प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.1972 उप पंजीयक चाकसू द्वारा कुल 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि का हिस्सा बेचान कर दिया था तथा कब्जा सम्भला दिया था जिसकी सीमाये निम्न प्रकार से थी उत्तर मे गैरमुमकीन तालाब है, दक्षिण मे कान्या मुल्या के खेत है, पश्चिम में हाजी अलीमोहम्मद का खेत है तथा बचा हुआ प्लाट ख.न. 202 स्थित है व पूर्व में चांद खातुन की भूमि है उक्त चारो दिशाये उक्त विक्रय पत्र में भी अंकित है तथा इस विक्रय पत्र के कब्जे अनुसार ही वादी व प्रतिवादी मौके पर काबिज काश्त है जिस विक्रय पत्र के कब्जे अनुसार पर खसरा नं 202/1 प्रतिवादी के तथा खसरा न. 202/2 वादी के नाम रह गया था किन्तु जब साबिक खसरा स नये खसरा नम्बर बनाये गये तो मिलान क्षेत्रफल में गलती से प्रतिवादी के साबिक ख0न. 202/1 के नये खसरा नम्बर 576, 580, 581 व वादी के खसरा नम्बर 202/2 के नये खसरा नम्बर 583 दर्ज हो गये जबकि विक्रय पत्र में अंकित कब्जे अनुसार व मौका स्थिती अनुसार खसरा नम्बर 576, 580, 581 पर वादी काबिज है तथा खसरा नम्बर 583 पर प्रतिवादी काबिज है किन्तु राजस्व रिकोर्ड में उक्त नम्बरान उलट पलट हो रखे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

F:\M.K. JAT S.D.M. OFFICE CHAKSU\R.A.S. JI\LATTER 1697.docx

प्रतिवादी के वर्तमान में खसरा नं. 576 रकबा 0.52 हैं0, खसरा नं 580 रकबा 0.03 है.0 581 रकबा 0.49 है.0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 है.0 भूमि नाम दर्ज है। उक्त ये नम्बर केवल गलती से प्रतिवादी के नाम व नक्शे में दिखाये गये है जबकि वास्ततिकता में उक्त भूमि वादीगण की है मौके पर इस नम्बर पर कब्जा काश्त भी वर्षो से वादीगण का ही चला आ रहा है जो आज दिनांक तक निरन्तर है मौके पर वादीगण की पुख्ता मिट्‌टी की डोल लगी हुई है। जो मेड वर्षो पुरानी है ,जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त नम्बर वादी के खेत के ही भाग है।

वादी के उक्त भूमि के पूर्व में खसरा नं. 202/2 दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा नं. 583 रकबा 1.05 हैं.0 बनाये गये है। जबकि उक्त नम्बर पर कब्जा प्रतिवादी का है अर्थात इस नम्बर में वादी की भूमि प्रतिवादी को तथा प्रतिवादी की भूमि वादी को कर दी गई है। गत सेटलमन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना कोई जांच किये सरसरी तौर पर राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से तथा बिना किसी ठोस आधार के गलत हिस्सा दर्ज कर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को केवल रिकार्ड को रिपीट करना होता है खातेदारी में नाम परिवर्तन बिना किसी आदेश के किये गये है उक्त कार्यवाही पूर्णतया गैर कानूनी अवैध व प्रारम्भ से ही शुन्य है जिसका वादीगण के मुकाबले कोई विधिक महत्व नही है।

प्रतिवादी अनपढ़ है तथा गांव के रह[illegible] किसान है जो अपने हिस्से पर लगातार काबिज है। तथा वाद[illegible] समस्त भूमियों पर काबिज काश्त है प्रतिवादी का वादी की भूमि से कोई [illegible]बन्ध भी नही है। वादी व प्रतिवादी खून के रिश्ते में पिता पुत्र है जिनमें कोई आपसी विवाद नही है किन्तु प्रतिवादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

F:\M.K. JAT S.D.M. OFFICE CHAKSU\R.A.N. ...ATTER 1857.docx

अन्य पुत्र आपस में जमीन को लेकर विवाद करते है जिसके चलते वादी को भी उक्त गलती की वजह से परेशान होना पड़ता है।

वादी अपनी उक्त भूमि पर वर्षो से लगातार काबिज काश्त है अभी गत दिनों करीब फरवरी 2019 में वादी व प्रतिवादी को उक्त त्रटि की जानकारी हुई जिसके पश्चात उन्होने राजस्व रिकार्ड निकलवाया तथा समस्त तथ्य समझकर प्रतिवादी को उक्त राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से अवगत कराया तो प्रतिवादी भी मान गया और कहा की वो शीघ्र की सहमति देकर उक्त त्रुटि को सुधरवा देगा। किन्तु दिनांक 23.03.2019 को प्रतिवादी ने अपने अन्य पुत्रों के दबाव के चलते उक्त त्रुटि को सुधरवाने से इनकार कर दिया।

प्रतिवादी की इन्कारी को देखते हुए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय श्रीमान से घोषणा की डिक्री प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी जो कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित है में प्रतिवादी के स्थान पर अपने नाम खातेदारी की घोषणा प्राप्त कर लेवे तथा खसरा नम्बर 583 की खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज करवा दे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवा दे कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात जो कि मद नम्बर 1 में वर्णित है में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा न डाले वादी को जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन, दान, बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित न करें।

दावे के लिए वाद हेतुक दिनांक 23.0[illegible] को जब प्रतिवादी ने दुरस्ती से इनकार किया तब से पैदा हो[illegible] अन्दर मियाद कानून मियाद पेश है। कि बलिहाज मालियत व स्थिती जायदाद माननीय न्यायालय को दावा सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

P:\M.K. JAT S.D.M. OFFICE CHAKSUR A.S. JI\LATTER 1697.docx

दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा खातेदारी का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी जो कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित है में प्रतिवादी के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 576, 580, 581 को प्रतिवादी के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 583 का खातेदार वादी के स्थान पर प्रतिवादी को घोषित किया जाकर उसका इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

प्रतिवादी को जरिय स्थायी निषेधाज्ञा प्राबन्ध फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी जो कि मद नं. 1 में वर्णित है में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, वादी को जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन, दान, बेचान, व अन्य को हस्तान्तरण नही करे।

दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30.04.2019 को हाजिर होकर राजीनामा पेश किया गया कि उपरोक्त प्रमाण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है उक्त प्रकरण वादी ने सही आधारो पर पेश किया गया है। उक्त दावे को डिक्री कर दिया गया है तो हमें कोई आपत्ति नही, उक्त प्रकरण में वादी की जमीन मेरे नाम लगी हुयी है व मेरी जमीन वादी के नाम लगी हुई है जिसे दुरूस्त कर दिया जावें।

राजीनामा पेश होने पर बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो पक्षकारान वकील के मुताबित राजीनामा दा[illegible] गयी रिलीफ अनुसार दावा डिक्री किये जाने में सहमति ज[illegible]यी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने दावे के समर्थन में विवादित ख[illegible] नम्बर ग्राम रसूलपुरा का नक्शा, रसूलपुरा भी जमाबन्दी सम्वंत 2073–76 खाता संख्या 6, 234 की व मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी सं 2037–40 खाता संख्या 60 व 90 जमाबन्दी सं. 2053–56 खाता सं. 4

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जमाबन्दी सं 2053 खांता सं 8 विक्रय पत्र दिनांक 02.11.72 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गयें।

पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकनप किया गया तो वादग्रस्त भूमि के प्राप्त साबिक ख. न. 20 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा वादी के दतक पिता मिश्री के नाम दर्ज थी जिस भूमि मे से स्व मिश्री खॉ ने 02.11.72 को प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय –पत्र द्वारा 4 बीघा 2 बिस्वा बेचान कर दिया व कब्जा सम्भलवाया दिया। विक्रय पत्र के आधार पर ख. न. 202/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के ख.न. 202/2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा वादी के नाम रह गयी। किन्तु जब साबिक खसरा से नये खसरा नम्बर बनाये तब मिलान क्षेत्रफल में त्रुटि वंश प्रतिवादी के साबिक खन 202/1 के नये खसरा नम्बर 576, 580, 581 व वादी के ख,न 202/2 के खसरा नम्बर 583 दर्ज हो गये जबकि विक्रय पत्र में अंकित कब्जे अनुसार व मौका स्थिती अनुसार ख.न. 576, 580, 581 पर वादी काबिज है तथा खसरा न. 583 पर प्रतिवादी काबिज है जो राजस्व रिकार्ड में उक्त नम्बर उक्त प्रत्यर हो गये । इस प्रकार वर्तमान में प्रतिवादी के ख.न 576 रकबा 0.52 है, 580 रकबा 0.03 है0 581 रकबा 0.49 है, किता 3 रकबा 1.04 हैं0 नाम दर्ज है उक्त खसरा नम्बर गलती से प्रतिवादी के नाम व नक्शें में दिखाये गये है जबकि मुताबिक राजीनामा उक्त भूमि वादीगण की है, कब्जा काश्त वर्षो से वादीगण का ही चला आ रहा है। इसी प्रकार वादी के उक्त भूमि के पूर्व ख.न 202/2 दर्ज थी जिसके वर्तमान ख.न. 583 [illegible] 05 है0 बनाये गये जबकि उक्त खसरा नम्बर 583 पर प्रतिवादी [illegible] वादी की भूमि प्रतिवादी राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकि किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रसूलपुरा तहसील चाकसू की भूमि जो प्रतिवादी के नाम दर्ज भूमि ख.न 576/0.52

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

580/0.03, 581/0.49 किता 3 रकबा 1.04 हैं0 भूमि को प्रतिवादी के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार ख.स 583 रकबा 1.05 हैं0 का खातेदार वादी के स्थान पर प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहसीर जारी हो/पत्रावली बाद तकमील दावीवाज दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

F:\M.K. JAT S.D.M OFFICE CHAKSU\R.A.S. JILATTER 1697.docx